

प्रमाणित
अर्थशास्त्र विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय

श्रेणी - अर्थशास्त्र/अर्थशास्त्र प्रश्नपत्र/2022/1971 प्रश्नपत्र क्र. अ-2022
 -प्रमाणित प्रश्न-

1) You would prefer to work for the Govt/PSUs or private firm. Give reasons for your choice. Explain the reasons for your choice. (10 marks)

2) You would prefer to work for the Govt/PSUs or private firm. Give reasons for your choice. Explain the reasons for your choice. (10 marks)

3) You would prefer to work for the Govt/PSUs or private firm. Give reasons for your choice. Explain the reasons for your choice. (10 marks)

4) You would prefer to work for the Govt/PSUs or private firm. Give reasons for your choice. Explain the reasons for your choice. (10 marks)

5) You would prefer to work for the Govt/PSUs or private firm. Give reasons for your choice. Explain the reasons for your choice. (10 marks)

6) You would prefer to work for the Govt/PSUs or private firm. Give reasons for your choice. Explain the reasons for your choice. (10 marks)

क्र. सं.	प्रश्न का विवरण	प्रश्न का अंक	उत्तर का अंक	व्यक्तिगत अंक	कुल अंक
1	1) You would prefer to work for the Govt/PSUs or private firm. Give reasons for your choice. Explain the reasons for your choice. (10 marks)	10	10	10	10
2	2) You would prefer to work for the Govt/PSUs or private firm. Give reasons for your choice. Explain the reasons for your choice. (10 marks)	10	10	10	10
3	3) You would prefer to work for the Govt/PSUs or private firm. Give reasons for your choice. Explain the reasons for your choice. (10 marks)	10	10	10	10
4	4) You would prefer to work for the Govt/PSUs or private firm. Give reasons for your choice. Explain the reasons for your choice. (10 marks)	10	10	10	10
5	5) You would prefer to work for the Govt/PSUs or private firm. Give reasons for your choice. Explain the reasons for your choice. (10 marks)	10	10	10	10
6	6) You would prefer to work for the Govt/PSUs or private firm. Give reasons for your choice. Explain the reasons for your choice. (10 marks)	10	10	10	10

अर्थशास्त्र प्रश्नपत्र

7) You would prefer to work for the Govt/PSUs or private firm. Give reasons for your choice. Explain the reasons for your choice. (10 marks)

8) You would prefer to work for the Govt/PSUs or private firm. Give reasons for your choice. Explain the reasons for your choice. (10 marks)

9) You would prefer to work for the Govt/PSUs or private firm. Give reasons for your choice. Explain the reasons for your choice. (10 marks)

10) You would prefer to work for the Govt/PSUs or private firm. Give reasons for your choice. Explain the reasons for your choice. (10 marks)

Principal
 Anand College of Arts, Commerce & Science
 Delhi University

जाना आवश्यक होगा। परीक्षा निर्धारण समिति द्वारा यदि एवं जहाँ-2) को पूर्णतः का पूर्णतः किया जाए 2-10
 कीस की नवीनतम करें लागू होगी।


- ✓ संस्था को (अथवा प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा तब समितियों, संस्थाओं को संबद्ध किया जाए, विनियमांकों 2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों को ही प्रयोग किया जाएगा और कि जिस पर जारी का विनियम में उल्लेख प्रवेश शासन की निर्देशावली का प्रयोग की शर्तों को ही लागू होगी।
- ✓ संस्था को राज्य शासन का निर्धारित आकांक्षिक को संयुक्त विधि से अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था को (अथवा प्राविधिक शिक्षा समितियों, संस्थाओं को संबद्ध किया जाए, विनियमांकों 2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश शासन द्वारा संयुक्त परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशावली, विनियमों का निर्धारण कर दिया जाएगा। (अथवा संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा निर्धारित विनियमों का प्रयोग किया जाए, विनियमों का निर्धारण कर दिया जाएगा।)
- ✓ शिक्षा शासन द्वारा प्राविधिक शिक्षा समितियों की संख्या, तब प्राविधिक शिक्षा समितियों में अनुपालन प्राप्त करने के अलावा जारी है, तो इस संबंध में संभव उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी शर्तों को प्रयोग नहीं किया जाएगा। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशावली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रवेश शासन को कोई बाध प्रदान किया जाता है तथा राज्य शासन को संभव है कि उत्तरदायित्व प्राप्त करने पर ही प्रतिनूति शर्तों का प्रयोग निर्धारित किया जाता है तो संस्था प्राविधिक शिक्षा समितियों का प्रयोग नहीं करेगी।
- ✓ शिक्षा शासन द्वारा प्राविधिक शिक्षा समितियों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा प्रवेश परीक्षा पर ही लिए आलोचित प्रवेश परीक्षा हेतु काठनिर्धारण द्वारा होने के पूर्व प्राविधिक शिक्षा निर्देशावली में अनुपालन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध करना होगा अतः प्रवेश की (काठनिर्धारण को संभव है कि प्रयोग करने पर ही प्रवेश परीक्षा) अनुपालन नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ राज्य प्रवेश संस्था द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित नवीनतम आस्था निर्धारण का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की संस्था प्रयोग के संस्था की प्राविधिक शिक्षा निर्देशावली का प्रयोग करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त स्टाफ को उपलब्ध करने के अलावा शिक्षा निर्देशावली में संस्था के संस्था आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित हो कि संस्था में प्राविधिक/संबद्धित प्राविधिक को प्रयोग करने हेतु निर्धारण जारी है, तो संस्था द्वारा प्रवेश परीक्षा पर ही लिए आलोचित प्रवेश परीक्षा हेतु काठनिर्धारण द्वारा होने के पूर्व प्राविधिक शिक्षा निर्देशावली में अनुपालन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध करना होगा अतः प्रवेश की (काठनिर्धारण को संभव है कि प्रयोग करने पर ही प्रवेश परीक्षा) अनुपालन नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित हो कि संस्था में प्राविधिक/संबद्धित प्राविधिक को प्रयोग करने हेतु निर्धारण जारी है, तो संस्था द्वारा प्रवेश परीक्षा पर ही लिए आलोचित प्रवेश परीक्षा हेतु काठनिर्धारण द्वारा होने के पूर्व प्राविधिक शिक्षा निर्देशावली में अनुपालन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध करना होगा अतः प्रवेश की (काठनिर्धारण को संभव है कि प्रयोग करने पर ही प्रवेश परीक्षा) अनुपालन नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित हो कि संस्था में प्राविधिक/संबद्धित प्राविधिक को प्रयोग करने हेतु निर्धारण जारी है, तो संस्था द्वारा प्रवेश परीक्षा पर ही लिए आलोचित प्रवेश परीक्षा हेतु काठनिर्धारण द्वारा होने के पूर्व प्राविधिक शिक्षा निर्देशावली में अनुपालन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध करना होगा अतः प्रवेश की (काठनिर्धारण को संभव है कि प्रयोग करने पर ही प्रवेश परीक्षा) अनुपालन नहीं प्रदान की जायेगी।

डा. आर.के. सिंह
 अध्यक्ष

दिनांक: 15-09-2021

पुस्तक- प्राविधिक/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-2141

प्राविधिक-प्रशासन/निदेशावली, एपेक्स कॉलेज ऑफ फार्मेसी, डि.ए. रोड-बरेल्ला, 2250-बरेल्ला, उत्तर प्रदेश


 Apex College of Pharmacy (1234)


 (303) आर.के. सिंह
 अध्यक्ष

Authorised Signatory

कार्यालय,

संघिय, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ

संख्या: प्राविणपरिषद सन् 2021/3537

संखनऊ दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय ज्ञापन

संघिय प्राविधिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, फार्मसी क्वालिफिकेशन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा राजिन 111/2021-22 हेतु विनयेत संघिय संस्कीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन पदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बन्धना विस्तार पदान किए जाने हेतु डिनंक- 03/08/2021 को परिषद का धीलय में 2021-22 समिती की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिती द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आरेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/सम्बन्धना विस्तार पदान के सम्बद्धता विस्तार/भाष्यक्रम प्रवेश दानता वृद्धि सति, अन्य गटों पर विचार करने का निर्णय किया गया।


सम्बद्धता समिती की बैठक में त्रिय सत्र निर्णय के अनुक्रम में विनयेत संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु विनयेत शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार पदान की जाती है.

संस्था का कोड एवं नाम : 1234 APEX COLLEGE OF PHARMACY, VILL & POST- KAUSHALGANJ, TEHSIL-BILASPUUR, RAMPUR-214921

सत्र	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
2021-22	DIPLOMA IN PHARMACY	60	50

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गई शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद अक्ट 1992 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992 संशोधित विनियमवली 2019 तथा अन्य विनियम नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिती द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनी पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्षीय दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सत्र/सत्र द्वारा निम्न किये जाने वाले सभासदश प्रभावी होंगे, और तदनुसार



कालाहरी किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सन 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस को नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त) शैक्षणिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता। विशेषकर (सी०सी०) की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कक्षाओं को ही प्रवेश दिया जायेगा। शर्तों के विना यह करने की विधि में प्रवेश परीक्षा आसन के निर्देशानुसार ही प्रवेश को कार्याहरी को जायेगी।
- ✓ संस्था को समयावधि पर निर्गत परीक्षाओं के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एम।आई।पी।सी।(सी०सी०) (सी०आई०) में अगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को प्रवेश परीक्षा शरणा द्वारा बनाये गये विधिनियमों/अधिनियमों/शासनपत्रों/निर्देशों एवं निर्देशक, शैक्षणिक शिक्षा 3080, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 3080 तथा शैक्षणिक शिक्षा परिषद, 3080 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विज्ञाया इन शर्तों/सी। पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में सफल रहती है तो इस संबंध में सतत उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से निर्यात की कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। शैक्षणिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, शैक्षणिक शिक्षा निदेशालय एवं शैक्षणिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बंध दाय्य किया जाता है तथा दाय्य बंध के संबंध में मा. संस्था/संस्था द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किए जाते हैं तो संस्था प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विज्ञाया इन शर्तों/सी। पाठ्यक्रम संयोजित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु का अनुमोदन प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई०/सी०आई०/अनुमोदन प्राप्त कर परिषद, कार्यलय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (हस्ताक्षर) के माध्यम से संस्था संस्था द्वारा परीक्षा (अनुमति नहीं) प्रदान की जायेगी।
- ✓ संस्था द्वारा सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सतत सूचना जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, साज-सज्जा उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध बनाना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त आवश्यक उपलब्ध करने के साथ रैकिंग रोकने के सम्बन्ध में सतत आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ने कि संस्था में प्रस्तावित स्थापित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-अवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी आ पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, अवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा पी०आई०पी०सी०(सी०आई०) परिषद के मानकनुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था को सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन (नवीनतम) जमा अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की विधि में नियमावली